झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–252 / 2019

मेसर्स जे0ई0एम0सी0ओ0 लिमिटेड, जमशेदपुर अपने वरिष्ठ प्रबंधक, शिल्पी शिवांगी के माध्यम से

..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

जसपाल सिंह, पुत्र–प्रीतम सिंह ..... उत्तरदाता

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री राजेश कुमार दुबे, अधिवक्ता

4 / दिनांक 2 अगस्त, 2019

यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (एल0) सं0 1030 / 2018 को पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 12.03.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया है।

श्री मनीष कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय ने डब्ल्यू0पी0 (एल0) सं0 1030 / 2018 में दिनांक 12.03.2019 को पारित आदेश द्वारा त्रुटियों को दूर करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन बाजिव गलती के कारण और गलत धारणा पर इस न्यायालय द्वारा निर्देशित समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप, अनुल्लंघनीय प्रकृति के आदेश के कारण रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

उन्होनें आगे निवेदन किया है कि यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा, तो याचिकाकर्त्ता द्वारा उठाय गये मुद्दे अनिर्णित रहने के कारण उसे अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

श्री राजेश कुमार दुबे ने कैविएट सं0–197/2018 के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन्होनें यह कहकर उक्त याचिका पर आपत्ति जताई है कि याचिकाकर्त्ता ने जानबूझकर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए, इसकी अनुमति दी जा सकती है।

इस अदालत ने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और सिविल विविध याचिका पर उठाये गए उत्तेजित आधारों की विवेचना करने के बाद, साथ ही, डब्ल्यू0पी0 (एल0) सं0 1030/2018 में दिनांक 12.03.2019 को पारित आदेश के मद्देनजर, जिसमें याचिकाकर्त्ता को निर्देशित किया गया था दो सप्ताह की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर किया जाय, असफल होने पर इस रिट याचिका को पीठ के संदर्भ के बिना खारिज करने का निर्देश दिया गया था।

उक्त आदेश का अनुपालन इस याचिका में यह कारण बताते हुए नहीं किया गया है कि पंचाट की प्रमाणित प्रति जो याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मांगी गई है, जिसकी आपूर्ति की गई है, लकिन इस बीच, यह न्यायालय 16.03.2019 से 24.03.2019 तक 'होली वैकेशन' के लिए बंद कर दिया गया था और 25.03.2019 को खुला था और जिस तारीख को न्यायालय खुला उस समय तक इस वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया समय समाप्त हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका को गैर अनुपालन के लिए खारिज कर दिया गया था।

यह न्यायालय पूर्वोक्त कारण को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यदि इस पुनःस्थापन आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो रिट याचिका में की गई प्राज्ञर्थना के अनुसार उठाए गए मुद्दों का न्याय–निर्णयन नहीं हो पाएगा और इस तरह, यह न्यायालय का विचार है कि सिविल विविध याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यू0पी0 (एल0) सं0 1030/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

तदनुसार, सी0एम0पी0 सं0 252 का निपटान किया जाता है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को एक सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिससे विफल होने पर, पीठ के आगे संदर्भ किए बिना रिट याचिका खारिज कर दी जाएगी।

कार्यालय को, निर्धारित अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने के बाद, उचित पीठ के समक्ष डब्ल्यू0पी0 (एल0) सं0 1030/2018 को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)